हिंदुस्तान ज़िन्क लिमिटेड

बनाम

भगवान सिंह भाटी और अन्य

(सिविल अपील सं. 2869-2876/2005)

मार्च 10, 2008

(डॉ. अरिजीत पसायत और पी. सदाशिवम, जे. जे.)

भूमि अधिग्रहणः

कंपनी के लिए भूमि अधिगहण- भूमिधारक के द्वारा रिट याचिका - प्रत्येक परिवार के एक सदस्य के लिए कम्पनी में रोजगार का दावा - कम्पनी ने करार के सुसंगत खण्ड का मनगढंत होने और देरी की आपत्ति उठाई- उच्च न्यायालय ने पूर्व आदेश के आधार पर दावे को स्वीकार किया- अभिनिर्धारित- उच्च न्यायालय ने समान तथ्यों पर आधारित वाद जिनका की अवलम्बन लिया गया की भांति उठाये गये मुददो पर अपना निष्कर्ष दर्ज नहीं किया, मामले को नये सिरे से तय करने के लिए प्रेषित किया गया।

प्रत्यर्थी भूमि धारको ने उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाएं दायर की जिसमें अपीलकर्ता कम्पनी जिसके कहने पर भूमि का अधिग्रहण किया गया था, को ऐसे प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को रोजगार देने का निर्देश देने की मांग की गयी। अपीलकर्ता कम्पनी का यह कहना था कि करार की शर्त संयत्र स्थापना के लिए अधिग्रहित की गयी भूमि के बाबत थी ना कि मौजूदा मामले में आवासीय कोलोनी के लिए करार से अधिग्रहित की गयी भूमि के लिए। आगे यह कहा गया कि करार का सुसंगत खण्ड एक सिद्धांत था; और यह कि याचिकाएं लगभग 10 साल की देरी से

दायर की गयी थी। उच्च न्यायालय ने दस्तावेज को नजरअंदाज कर दिया, और पहले के फैसले के आधार पर, दावे को स्वीकार कर लिया।

न्यायालय ने कम्पनी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार करते हुए, अभिनिर्धारित किया:

ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता द्वारा उठाये गये विभिन्न बिंदुआओ पर गौर नही किया गया है; अधिक विशेष रूप से जिस तथाकथित समझौते पर विश्वास किया गया था वह मनगढंत था और उसमें हेर-फेर करके शामिल किया गया था। यह बात गौर करने की है कि उच्च न्यायालय डिविजन बेंच ने जिस आदेश पर विश्वास किया था वह तथ्यात्मक रूप से अलग परिदृश्य में दिया गया था और उस पर सामान्य अनुक्रम में विश्वास नहीं करना चाहिए था। उच्च न्यायालय ने यह नहीं दर्शाया है कि तथ्यात्मक परिदृश्य किस प्रकार समान है। इस आधार पर कोई निष्कर्ष दर्ज नही किया गया है कि रिट याचिकाएं न केवल विलम्ब से थी बल्कि मनगंढत दस्तावेज पर आधारित थी। इसलिए, उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश को रद`द किया जाता है और मामले को विधि अनुसार नये सिरे से विचार करने के लिए प्रेषित किया जाता है। [पैरा 8-9] [619-डी, ई, एफ]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं. 2869-2876/2005

जोधपुर (राजस्थान) उच्च न्यायालय के डी.बी.सी.एसपीएल.अपील क्रमांक 1465/1999, 85/2000, 1049/1998, 374/2001, 1466/1999, 439/2002, 1464/1999 और 1463/1999 में अंतिम आदेश दिनांक 1.4.2004

के साथ

सिविल अपील क्रमांक 7424/2005

सी. ए. सुंदरम, पी. सी. सेन, पल्लव कुमार, विश्वजीत सिंह, राजेंद्र सिंघवी, मैत्रेयी सिंघवी, अशोक कुमार सिंह, डॉ. सुशील बलवाड़ा और आर. सी. कौशिक उपस्थित पक्षकारों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था

डॉ. अरिजीत पासायत, जे.

1. इन अपीलो में राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा अपीलकर्ता द्वारा दायर की गयी सिविल विशेष अपीलों को खारिज करने के आदेश को चुनौती दी गयी हैै। अपीलें विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश दिनांक 25.10.1999 के विरुद्ध निर्देशित की गई थीं।

2. प्रत्यर्थियों ने उन व्यक्तियों के परिवारों के सदस्यों को रोजगार देने के लिए वर्तमान अपीलकर्ताओं को निर्देश देने की मांग करते हुए रिट याचिकाएं दायर की थीं, जिनकी भूमि अपीलकर्ता मेसर्स हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के कहने पर अधिग्रहित की गई थी। उनके अनुसार, कंपनी के साथ एक करार हुआ था जिसके तहत कंपनी अधिग्रहित भूमि के लिए मुआवजा देने और भूमि मालिकों के परिवार के एक सदस्य को रोजगार देने पर सहमत हुई थी।

3. विद्वान एकल न्यायाधीश ने कंपनी की दलीलों पर ध्यान देते हुए कहा कि रोजगार देने के लिए ऐसा कोई करार नहीं था, लेकिन नीति के मद्देनजर कुछ प्राथमिकता दी जानी थी, रिट याचिकाओं का निपटारा कर दिया। कंपनी का रुख था कि दिया जाने वाला एकमात्र निर्देश कंपनी के लागू नियमों के अनुरूप रिट याचिकाकर्ताओं के मामलों पर विचार करना था। उच्च न्यायालय ने पहले के आदेश का हवाला दिया और विशेष अपील की अनुमति दी।

4. वर्तमान अपीलकर्ता का रुख यह था कि इस तरह का कोई करार नहीं था जैसा कि कथित किया गया है। वास्तविकता में जो दस्तावेज़ इस दावे को दर्शाने के लिए प्रस्तुत किया गया है कि रोजगार देने के लिए कोई करार किया गया था, जैसा कि दावा किया गया है, वह फर्जी था। डिवीजन बेंच ने इसे कोई महत्व नहीं दिया और निर्देश दिया कि पहले के फैसले 21 नवंबर, 1996 के मद्देनजर, रिट याचिकाकर्ता दावा की गई राहत के हकदार थे।

5. अपील के समर्थन में, अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने कथित किया कि भूमि अधिग्रहण के लिए दो प्रकार के करार किए गए थे। एक श्रेणी प्लांट के लिए अधिग्रहीत भूमि से संबंधित है और दूसरी आवासीय कॉलोनियों से संबंधित है। जहां तक प्लांट के लिए अधिग्रहीत भूमि का संबंध है, वहां एक विशिष्ट खंड यानी खंड 6 था जो इस प्रकार है:

> "जिन किसानों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है, उस कृषक के परिवार के एक सदस्य या उसके विधिक वारिसान को उसकी योग्यता के अनुसार हिंदुस्तान जिंक द्वारा उसके संस्थान में रोजगार दिया जाएगा।"

6. यह बताया गया है कि जहां तक आवासीय कॉलोनियों के लिए अधिग्रहीत भूमि का सवाल है, इसमें कोई शर्त नहीं थी और धोखाधड़ी से एक पैरा डाला गया था, जिस पर कंपनी के किसी भी प्रतिनिधि के हस्ताक्षर भी नहीं थे। हालाँकि यह दस्तावेज़ उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, लेकिन इसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। यह भी बताया गया है कि जहां तक संयंत्र के लिए अधिग्रहीत भूमि का संबंध है, यदि परिवार के एक सदस्य को रोजगार दिया गया है, तो किसी भी अन्य दावे पर विचार नहीं किया जा सकता है। उच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर भी ध्यान नहीं दिया कि रिट याचिकाएँ लगभग एक दशक के बाद दायर की गईं। जमीन का

अधिग्रहण 1988 में किया गया था, जबकि रिट याचिकाएं 1998 में दायर की गई थीं। केंद्र सरकार के निर्देशों के मद्देनजर, दिशानिर्देशों के अनुसार ही रोजगार दिया जा सकता है। उच्च न्यायालय ने इन तथ्यों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया है।

7. जवाब में, प्रत्यर्थियों के विद्वान वकील ने कथन किया कि चूंकि एक मामले में समता के आवेदन द्वारा राहत दी गई है, इसलिए प्रत्यर्थीगण भी इसी तरह की राहत के हकदार थे।

8. ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता द्वारा आग्रह किये गये विभिन्न बिंदुओं पर ध्यान नहीं दिया गया है; विशेष रूप से यह कथन कि जिस पर दस्तावेज़ पर भरोसा किया गया था यानी कथित करार मनगढ़ंत था और इसमें अनधिकृत रूप से हेरफेर कर प्रविष्टि की गई थी। यह भी गौर किया जाना चाहिए था कि उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने जिस आदेश पर भरोसा किया था उसका तथ्यात्मक परिदृश्य तथ्यात्मक रूप से भिन्न परिदृश्य में प्रस्तुत किया गया था। यह भी कहा गया है कि आदेश पर सामान्य अनुक्रम में भरोसा नहीं किया जाना चाहिए था।

9. उच्च न्यायालय ने यह नहीं दर्शाया है कि तथ्यात्मक परिदृश्य किस प्रकार समान है। इस आधार पर भी कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया गया है कि रिट याचिका न केवल विलंबित थी बल्कि एक मनगढ़ंत दस्तावेज़ पर आधारित थी। इसलिए उच्च न्यायालय के विवादित आदेश को आपस्त करना और मामले को कानून के अनुसार नए विचार के लिए भेजना उचित है। उच्च न्यायालय से अनुरोध है कि वह जुलाई, 2008 के अंत तक अपील का निपटारा करने की संभावना तलाशे।

10. उपरोक्त सीमा तक अपीलें स्वीकार की जाती हैं।

आर.पी. अपीलें स्वीकार।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी हिमांशु गर्ग (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।